फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

भैरू बनाम सोहन भील (वगैरा)

मुकदमा प्रा. पत्र 111-128 नं० 91 सन् 2021

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 23.11.21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 केम्प कुहाड़िया मे पेश हुई, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए एंव तहसीलदार मांडल द्वारा प्राप्त रिपोर्ट हल जिसे क्रा०प० किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। **डॉ. पूजा सक्सेना** **उपखण्ड अधिकारी माण्डल** **प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:30:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

मा संख्या :- 91/21 प्रा.पत्र

श्री मेर. s/o माधु तेली निवासी - लुहारिया तहसील - माण्डल

--प्रार्थी

बनाम

1 सोहन s/o श्री बालु भील निवासी - लादुवास तहसील - करेड़ (बेगम)

--विपक्षीगण

(प्रहांकित प्रा पत्र सलग्न)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 25.11.21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर न किया कि ग्राम लुहारिया पटवार हल्का लुहारिया तहसील मांडल/में उसके /संयुक्त खातों की आराजी नं. प्रहांकित पिछले पृष्ठ पर कुल किता 14 2.9846 हेक्टेयर — स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी यिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते क्त खाते की भूमि की पत्थर गढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 27.10.21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को नोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी करने का कारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक न्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम लुहारिया ार हल्का लुहारिया तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. प्रहांकित पिछले पृष्ठ पर अंकित कुल किता 14 रकबा 2.9846 हेक्टेयर — के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है । गढ़ी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक लुहारिया को 1200-/- /- ये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें । मिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे को बनाये रखते हुए मुस्तकील न्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें । फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी ... की जावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:30:01 IST
Reason: SelfAttested

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, मांडल भीलवाड़ा
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा करवाये जाने के अनुसार पत्थरगढ़ी करवा जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, मांडल भीलवाड़ा
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021